

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
:-आदेश:-

ज्ञाप सं०-20/क्ष०स्था०-08 (स्था०)-60/2016 सा०प्र०...../

पटना-15, दिनांक..... 2020

क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित अराजपत्रित कर्मियों के संबंध में प्राप्त आवेदन एवं संबंधित जिला पदाधिकारियों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र/सेवा-इतिहास/रिक्ति संबंधी सूचना पर सम्यक् विचारोपरांत विशेष परिस्थिति में क्रम सं०-01 एवं 02 पर अंकित कर्मियों को विभागीय आदेश ज्ञापांक-16667 दिनांक-20.12.2018 द्वारा एवं क्रम सं०-03 पर अंकित कर्मियों को विभागीय आदेश ज्ञापांक-71 दिनांक-21.02.2018 द्वारा अंतर प्रमंडलीय/अंतर जिला स्थानांतरण किया गया है।

क्र०	नाम/पदनाम	वर्तमान पदस्थापन एवं समाहरणालय का नाम	कार्यालय जहाँ स्थानांतरण किया गया है।
1.	श्री हरिओम कुमार, लिपिक	अंचल कार्यालय, गौनाहा, समाहरणालय, पश्चिम चम्पारण, बेतिया	समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी
2.	श्री नारगेन्द्र राम, लिपिक	अनुमंडल कार्यालय, अरेराज, समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी	समाहरणालय, पश्चिम चम्पारण, बेतिया
3.	श्री केशव कुमार राय, लिपिक	अंचल कार्यालय, रामगढ़, समाहरणालय कैमूर (भभुआ)	समाहरणालय, वैशाली, हाजीपुर

निदेश दिया जाता है कि स्थानांतरित कर्मियों को पत्र निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अंदर विरमित किया जाना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा निर्धारित तिथि के बाद स्वतः विरमित समझे जायेंगे।

ह०/-

(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-20/क्ष०स्था०-08 (स्था०)-60/2016 सा०प्र०...../पटना-15, दिनांक..... 2020

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/पश्चिम चम्पारण, बेतिया/कैमूर (भभुआ)/वैशाली/हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि पत्र निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अंदर स्थानांतरित कर्मियों को विरमित करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

03-01-2020

3.1.2020

(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।